

न्यायालय माननीय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र.क्र. / 2013/ निगरानी R 2377- P B H/13

महेश पुत्र श्री भैरवलाल धनिक

नि० 113/1 नया नंबर 179 कंडिलपुरा

इन्दौर म०प्र० - प्रार्थी

*Sharma*  
22-6-13

बनाम

म०प्र० शासन - प्रतिप्रार्थी

प्रार्थना पत्र निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर निर्णय दिनांक 10-4-13 मे पारित प्रकरण क्र० 102/12-13/अपील अन्तर्गत धारा 50 रे.को.

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है-

- 1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश रिकार्ड साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने से मान्य किये जाने योग्य है।
- 2- यहकि, प्रार्थी एवं उनके पिता का विवादित भूमि जिसमे पट्टे की भूमि भी सम्मिलित है पर 2-10-59 के पूर्व का अधिपत्य था उसके संबंध मे अपर तहसील दार द्वारा राजस्व प्रकरण क्र० 141/अ-68/76-77 पर दर्ज कर आदेश दिनांक 15-4-1977 को प्रकरण खारिज किया गया अपीलान्ट का कब्जा भू राजस्व संहिता के पूर्व से होने से इस पर कार्यवाही नहीं हो सकती जो प्रदर्श पी-2 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट के हिस्से की भूमि में 800 वर्गफुट पर लीजहोड प्रस्तुत की और नगर पब्लिक निगम इन्दौर मे दर्ज रसीद व अन्य दस्तावेज अपने पक्ष समर्थन हेतु श्रीमान कलेक्टर महोदय समक्ष प्रस्तुत किये गये है परन्तु उस पर कोई विचार नहीं किया गया

*Sharma*  
22/6/13

*Sharma*

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 2377-P.A. 13. जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.6.2016	<p>आवेदक की ओर से श्री ओ० पी० शर्मा अभिभाषक एवं शासन की ओर से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रमाण वापिस किये जाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रमाण वापिस किये जाने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	<p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">16.6.2016 अध्यक्ष</p>